पत्रांक–06/खा0 म0 विविध–02/2026– 74 (6)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 04/02/2026

विषय :– **सेवारत सैनिक एवं विधवाओं के राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **गृह विभाग (सैनिक कल्याण निदेशालय) पत्रांक–1424 दिनांक–01.12.2011**

महाशय,

सरकार ने सात निश्चय–3 (2025–30) को राज्य में दिनांक–16.12.2025 से लागू कर दिया है, जिसके अन्तर्गत स्तंभ–7 में **"सबका सम्मान–जीवन आसान"** (Ease of Living) सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा–2026 एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जन कल्याण संवाद, 2025 के क्रम में यह तथ्य उजागर हुई कि समाज/राष्ट्र के प्रहरी (जो सरहद पर पदस्थापित है) एवं विधवाओं को प्रायः प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व संबंधी मामलों का विलम्ब से निस्तार से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष, 2011 में ही गृह विभाग (बिहार सरकार) ने सैनिकों के राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश पूर्व से निर्गत है। वर्त्तमान स्थिति में उन्हीं संकल्पों को पुनः स्मारित करने की आवश्यकता है।

3. विदित हो कि संविधान के अनुच्छेद–14 (युक्ति संगत वर्गीकरण), अनुच्छेद–15(3) (महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान) तथा अनुच्छेद–38, 39 (कमजोर वर्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करना) में महिलाओं को राज्य द्वारा विशेष प्रावधान करने की शक्तियाँ प्रदत्त है।

4. उक्त संवैधानिक सिद्धान्तों को राजस्व प्रशासन में शामिल करने के दिशा में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिए जाते है :–

(क) सेवारत सैन्य अधिकारी/सैनिक एवं विधवाओं के राजस्व संबंधित मामले यथा परिमार्जन, सीमांकन, दाखिल खारिज, अतिक्रमण वाद का निष्पादन, उत्तराधिकार, प्रविष्टि, कब्जा संरक्षण आदि के मामालों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन ही संवेदनशील राजस्व प्रशासन का प्रमाण होगा।

(ख) इन मामलों को Online प्रविष्टि कर Unique ID देकर प्राथमिकता के आधार पर अनुश्रवण अपेक्षित है।

(ग) इन मामलों को राजस्व न्यायालयों में भी बिना अत्यधिक विलम्ब के मात्र तीन तिथियों को नियमानुसार सुनवाई कर निष्पादित किया जाए ताकि उन्हें त्वरित गति से न्याय मिल सके। न्यायालयों में केवल तारीख देने पर नागरिकों का राजस्व प्रशासन के विश्वास का ह्रास होता है।

(घ) महा–अभियान, 2026 एवं मापी अभियान में भी सैन्य अधिकारी/जवान एवं विधवाओं को प्राथमिकता में निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु जिला के **अपर समाहर्त्ता नोडल पदाधिकारी घोषित किए जाते हैं,** जो प्रत्येक शनिवारीय बैठक कर इन मामलों का विशेष अनुश्रवण कर समाहर्त्ता को प्रतिवेदन देंगे तथा उसकी प्रति विभाग को प्रेषित करेंगे।

6. संबंधित जिला के समाहर्त्ता को इस विशेष अभियान को सफल बनाने का दायित्व होगा। जिला राजस्व प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी होने के आलोक में इन मामलों के त्वरित गति से निष्पादन किये जाने हेतु वे सक्षम प्राधिकार होंगे।

7. तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
04/02/2026
(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव